POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.01.2025

1.थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में बाहर से ग्रुप में आकर साप्ताहिक बाजार, दैनिक बाजार, बस स्टैण्ड तथा ऑटो स्टैण्ड पर महिलाओं को निशाना बनाकर उनके पर्स व पहने आभूषणो की चोरी करने वाली महिलाओ के गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 04 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी हुआ माल (04 चैन पीली धातू) व 02 जोड़ी बिछवे, 15,000 रूपये नगद, 04 आधार कार्ड व 01 पेन कार्ड बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस 2 पर वादिया द्वारा अपने साथ हुयी चोरी की घटना के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस 2 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 15/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर त्वारित कार्यवाही करते हुये **दिनांक 10.01.2025** को नयागांव सब्जी मण्डी के पास से अभियुक्ता 1. मीना पत्नी सोनू 2.राधा पत्नी सूरज 3.सुनीता पत्नी दीपक 4.गीता पत्नी बच्चू को **गिरफ्तार** किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्ताओं द्वारा एनसीआर क्षेत्र में बाहर से ग्रुप में आकर साप्ताहिक बाजार, दैनिक बाजार, बस स्टैण्ड तथा आटो स्टैण्ड पर महिलाओं को निशाना बनाकर उनके पर्स व शरीर पर पहने आभूषणो की चोरी और अपने यहां जाकर चोरी किये गये आभूषणो को बेचने का काम करती है।

1. ये सभी महिलायें नियमित रूप से लगने वाली मण्डी तथा साप्ताहिक बाजार में आने वाले ग्राहक विशेषकर महिलाओं को टारगेट करती थी।
2. ये सभी महिलायें ग्राहकों का ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करते थे तथा थोड़ी सी भी चूक होने पर तुरन्त उनके पर्स व शरीर पर पहने आभूषणो को लेकर गायब हो जाते थे।
3. ये सभी महिलायें समूह में कार्य करती थी तथा आभूषणो को चुरा लेने के उपरान्त पकड़े जाने की सम्भावना की आशंका होते ही अपने दूसरे साथी को चोरी किये गये आभूषणो व पर्स को पकड़ा देती थी।
4. ये सभी महिलायें काफी मात्रा में आभूषणो व अन्य सामान एकत्र हो जाने के उपरान्त जनपद फरीदाबाद में जाकर औने-पौने दाम में बेच देती थी।
5. ये सभी महिलायें बिना अभिभावक के ही जनपद में आगमन करती है।

6. ये सभी महिलायें पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलती रहती हैं तथा एक जगह टिक कर नही रहती।
7. ये सभी महिलायें भारी मात्रा में आभूषण चोरी कर लेने के उपरान्त 3 से 4 दिन में ट्रेन व बस के माध्यम से चोरी के आभूषण बेचने के लिये फरीदाबाद व हरियाणा वापस चले जाते हैं।
8. ये सभी महिलायें अशिक्षित है।
9. इन सभी महिलायें का कोई निश्चित ग्राहक नही होता हैं बल्कि यह मोल तोल करके जहां भी इनको अधिक दाम मिलता है वही बेच देती हैं।
10. ये सभी महिलायें में एक ही जगह की रहने वाली है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण--

1. मीना पत्नी सोनू निवासी ग्राम मोटू का नगला, थाना छैंसा,जिला फरीदाबाद, हरियाणा उम्र 26 वर्ष,
2. राधा पत्नी सूरज निवासी ग्राम मोटू का नगला, थाना छैंसा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा उम्र 30 वर्ष,
3. सुनीता पत्नी दीपक निवासी ग्राम नंगला मोटुका, थाना छैंसा, जिला फरीदाबाद, उम्र 19 वर्ष,
4. गीता पत्नी बच्चू निवासी ग्राम नंगला मोटुका, थाना छैंसा, जिला फरीदाबाद, उम्र 50 वर्ष,

अभियुक्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

1. मु0अ0सं0 15/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस. थाना फेस-2 जिला गौतमबुद्धनगर

अभियुक्ता राधा का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 202/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना कासना, नोएडा, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 15/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस. थाना फेस-2 जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 04 चैन पीली धातू
2. 02 जोड़ी बिछवे
3. 15,000 रूपये नगद
4. 04 आधार कार्ड
5. 01 पेन कार्ड बरामद

2.थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थ (डोडा चूर्ण) की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.01.2025 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय सूचना की सहायता से थाना क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क के पास से अवैध नशीले पदार्थ (डोडा चूर्ण) की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त दीपक पुत्र सुखदेव को **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. दीपक पुत्र सुखदेव निवासी मूल पता ग्राम मझौल, थाना चेरिया वरियारपुर, जिला वेगुसराय, बिहार वर्तमान पता सेक्टर-10, झुग्गी झोपडी, देशी शराब ठेके के पास, नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 1055/2017 धारा 380, 411, 457 भा दं सं थाना फेस-3, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0496/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0406/2024 धारा 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 0347/2022 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना फेस-3, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 0348/2022 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना फेस-3, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 0350/2024 धारा 25, 4 आयुध अधिनियम थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0स0 013/2025 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 किलो 100 ग्राम डोडा चूर्ण

3.थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सरिया कुल वजन 01 कुन्तल 25 किलोग्राम, ग्रीडर मशीन व एक पैडल रिक्शा लोडर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.01.2025 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से कार्यवाही करते हुए 02 शातिर चोर 1.आबिद पुत्र निजाम 2.मोहसिम उर्फ चिकट पुत्र अनीस को फलैदा रोड कस्बा रबूपुरा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया सरिया कुल वजन 01 कुन्तल 25 किलोग्राम, ग्रीडर मशीन व एक पैडल रिक्शा लोडर बरामद किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि रात के समय हम लोग निर्माणाधीन मकान व अन्य जगहों से बिल्डिंग मैटिरियल चोरी कर रिक्शा लोडर पर ले जाकर कबाड़ी को बेच देते है। हमारे द्वारा कस्बा रबूपुरा में ग्राम मिर्जापुर रोड़ मोहित फार्म हाऊस के सामने निर्माणाधिन मकान के कमरे से ग्रीडर मशीन, सरिया व फलैदा रोड़ कस्बा रबूपुरा में निर्माणाधीन नगर पंचायत के नाले का सरिया चोरी किया गया था। अभियुक्तों के एक फरार साथी की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. आबिद पुत्र निजाम निवासी धोबीवाला कस्बा व थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
2. मोहसिम उर्फ चिकट पुत्र अनीस निवासी ग्राम चिंगरोली, थाना जंहागीरपुर, जिला बुलंदशहर।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 259/24 धारा 305(क), 317(2) बीएनएस थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 9/25 303(2), 317(2) बीएनएस थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 कुन्तल 25 किलोग्राम सरिया
2. ग्रीडर मशीन
3. एक पैडल रिक्शा लोडर